129

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1141–चार/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–08–2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 150/अपील/95–96

.....

मुसम्मत कलावती बेवा पत्नी हीरालाल
निवासी–ग्राम लक्ष्मणपुर तहसील हुजूर
जिला–रीवा(म0प्र0)

–––––आवेदिका

विरूद्ध

1– सुदर्शन प्रसाद तनय श्री रामरतन कुर्मी
निवासी–ग्राम लक्ष्मणपुर तहसील हुजूर
जिला–रीवा(म0प्र0)

2– जौजे हरवंश कुर्मी
निवासी–ग्राम लक्ष्मणपुर तहसील हुजूर
जिला–रीवा(म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री आई0पी0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22-1-2018 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–08–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम लक्ष्मणपुर स्थित विवादित भूमि खसरा नं0 824 रकबा 1.31 एकड़ अपने नाम भूमिस्वामी दर्ज कराने हेतु आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र तहसीलदार गुढ़ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । जिस पर तहसीलदार गुढ़ ने प्रकरण क्रमांक 34/अ–6/85–86 में पारित आदेश दिनांक 25.01.86 द्वारा आवेदिका के आवेदन को तथ्यहीन मानकर निरस्त किया है। तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष प्रस्तुत की है। जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदिका द्वारा प्रस्तुत अपील को आधारहीन मानकर दिनांक 12–07–95 से निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक 150/अपील/95–96 पर पंजीबद्ध कर पारित आदेश दिनांक 30.08.2008 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष को न्यायासंगत मानते हुये स्थिर रखा है तथा अपील निरस्त की गई है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि के मूल भूमिस्वामी मृतक लक्ष्मीनारायण थे । आवेदिका ने तहसील न्यायालय में ग्राम लक्ष्मणपुर स्थित विवादित भूमि खसरा नं0 824 रकबा 1.31 एकड़ अपने नाम भूमिस्वामी दर्ज करने का अनुतोष चाहा था। जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही पश्चात आवेदिका का आवेदन निरस्त कर अनावेदक के पक्ष में वारिसाना नामांतरण स्वीकृत किया । आवेदिका द्वारा मूल भूमिस्वामी मृतक लक्ष्मीनारायण का शासकीय अभिलेखों से 7 वर्ष तक नाम हटाने की कार्यवाही नहीं की गई। इस संबंध में भी कोई आधार अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये । इस कारण विचारण न्यायालय सहित दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा आवेदिका का आवेदन अस्वीकार किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है, जिनमें हस्तक्षेप किये जाने का आधार इस निगरानी में नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 30.08.2008 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,